# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली(राज0)

## पीठासीन अधिकारीः— श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रा0पत्र संख्या :— 1196/2017

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1. गोकलराम पुत्र विरदाराम<br>2. कुलदीपसिंह पुत्र शंकरलाल<br>3. राकेश पुत्र रामसिंह<br>4. मुकेश पुत्र रामसिंह<br>5. सुरेश पुत्र रामसिंह<br>6. ओमसिंह पुत्र भागीरथ<br>7. सुनिता पुत्री रामसिंह कौम जाट निवासीगण चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली (राज0)<br>8. सीता पत्नि हरीराम<br>9. जोधाराम पत्नि हरीराम<br>10. श्रवण पुत्र हरीराम<br>11. पारस पुत्र हरीराम<br>12. मगराज पुत्र कुनाराम<br>13. रतनलाल पुत्र मिश्रीलाल, जातियान जाट, निवासीगण चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली (राज0) | | 1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत, तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)। |

सोजत (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव एवं श्री रमेश चन्द्र पंवार एवं श्री महावीर प्रसाद अधिवक्तागण उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत स्वंय उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

**–: निर्णय :–** **दिनांक –12.03.2018**

अधिवक्ता प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा चण्डावल पटवार हल्का चण्डावल मे ख0नं0 2074, 2078, 2080/2, 2081, 2082, 2083, 2085/1 कुल किता खसरा 07 रकबा 8.8800 हैक्टर स्थित है। प्रार्थी संख्या 8 से 13 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा चण्डावल में ख0नं0 2079, 2080, 2085, 2086, 2097 कुल किता खसरा 05 रकबा 8.8800 हैक्टर स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में प्रार्थी संख्या 1 से 13 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित थी। उक्त कृषि भूमि का सभी खातेदारान ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा निष्पादित करवाया था, जिसका नामान्तरण संख्या 1962 दिनांक 20.11.2009 को स्वीकृत किया गया था। उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने एवं तरमीम करने हेतु पटवारी हल्का चण्डावल व आर.आई चण्डावल को तहसीलदार सोजत द्वारा निर्देश दिये थे। उक्त बंटवाड़े के माफिक म्यूटेशन इन्द्राज करते समय नजरी नक्शा पटवारी हल्का द्वारा एवं आर.आई के द्वारा बनाया गया था। लेकिन त्रुटिवश व सेवन से व पेन ऑफ स्लीप से उनके द्वारा गलत तरमीम व नक्शा बनाया गया, जो नामान्तरण संख्या 1962 दिनांकित 20.11.2009 में स्वीकृत किया, उसके विपरित उन्होने बना दिया व तरमीम कर उसका नक्शा जारी कर दिया, जो गलत है तथा उक्त नजरी नक्शे में दर्शाई गई समस्त परिवर्तन नामान्तरकरण के विपरित व आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़े के विपरित पटवारी हल्का एवं आर.आई द्वारा तैयार किया गया, जो गलत है। जिसे दुरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया है, जिस तरमीम की गलती के कारण नक्शा लट्टा में भी गलत इन्द्राज हो गया है, जो एक भारी भूल है। वक्त रहते हुए अगर इसे सुधार नही किया गया तो प्रार्थीगण के मध्य विवाद हो सकता है। इस प्रकार उक्त तरमीम को खारिज फरमाकर उक्त बंटवाड़े के माफिक म्यूटेशन इन्द्राज कराने का सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश प्रदान करावे व नजरी नक्शे में भी दुरस्ती का आदेश प्रदान करावे। इस प्रकार प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा चण्डावल के खसरा नंबर 2085 रकबा 2.7000 हैक्टर का हुआ बंटवाड़ा माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार किये तरमीम को खारिज किये जाने तथा उक्त बंटवाड़े के माफिक म्यूटेशन इन्द्राज किये जाने तथा नजरी नक्शे में भी दुरस्ती व तरमीम को निरस्त कराने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जारिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत की ओर से दिनॉक 07.09.2017 को जबाब प्रा0पत्र पेश कर विवादित भूमि मौजा चण्डावल में स्थित होना, वर्णित भूमि प्रार्थीगण की होना, अवशेष पैरा कानूनी दर्शाते

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

हुए प्रार्थी प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बंध में स्वयं प्रार्थी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर सिद्व किये जाने के तथ्य अंकित किये है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने फहरिश्त मय दस्तावेजात बतौर साक्ष्य सबूत पेश किए, दिनॉक 12.03.2018 को पत्रावलीबद्व किये गये।

बहस प्रा0पत्र अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि विवादित भूमि मौजा चण्डावल में ख0नं0 2074, 2078, 2080/2, 2081, 2082, 2083 व 2085/1 कुल किता 7 रकबा 8.8800 हैक्टर प्रार्थी सं0 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी की तथा ख0नं0 2079, 2080, 2085, 2086 व 2097 कुल किता 5 रकबा 8.8800 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात की भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 13 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की थी। जिसका सभी खातेदारों ने आपसी सहमति का बंटवाड़ा व कब्जा काश्त की थी। जिसका सभी खातेदारों ने आपसी सहमति का बंटवाड़ा निष्पादित करवाया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1962 दिनॉक 20.11.2009 को स्वीकृत किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने एवं तरमीम करने हेतु भू0अ0निरीक्षक व पटवारी हल्का–चण्डावल को निर्देशित किये जाने पर उक्त बंटवाड़ा माफिक नामान्तरकरण इन्द्राज करते समय नजरी नक्शा तरमीम राजस्व नक्शे में उनके द्वारा त्रुटिवश सेवन से वा0सं0 1962 दि0 20.11.2009 स्वीकृति के विपरित गलत बना दिया एवं आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा के विपरीत इन्द्राज हो गया है। फलस्वरूप मौजा चण्डावल में स्थित ख0नं0 2085 रकबा 2.7000 हैक्टर के हुए आपसी बंटवाड़ा माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार पूर्व नामान्तरकरण राजस्व नक्शे/लठ्ठा नक्शा मे की गई तरमीम को खारिज किये जाने तथा माफिक बंटवाड़ा का पारित नामान्तरकरण संख्या 1962 के पृष्ठांकित नजरी नक्शा अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में सही व वास्तविक रूप से तरमीम करवाये जाने हेतु आदेश दिये जाने की ईशतदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र, जबाब प्रा0पत्र मय दस्तावेजात ना0सं0 1962 मय पृष्ठांकित नजरी नक्शा, वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी तथा आपसी सहमति–पत्र नोटेरी से तस्दीकसुदा दिनॉक 12.03.2018 द्वारा पूर्व में समस्त पक्षकारानों द्वारा आपसी बंटवाड़ा माफिक भरे गये ना0सं0 1962 दिनांक 20.11.2009 के पृष्ठांकित नजरी नक्शा माफिक तरमीम किये जाने हेतु संपुष्ट किया है। लिहाजा प्रस्तुत प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाना पूर्व में की गई राजस्व नक्शे में गलत रूप से की गई लाल स्याही से दर्शित ख0नं0 2085/1, 2085 की तरमीम को निरस्त किया जाना तथा पुनः ख0नं0 2085, 2085/1 नामान्तरकरण संख्या 1962 के पृष्ठांकित नजरी नक्शा अनुसार सही व दुरूस्त तरमीम किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

सोजत (राज.)

## –: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2017 अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा– चण्डावल पटवार हल्का चण्डावल में स्थित ख0नं0 2074, 2078, 2080/2, 2081, 2082, 2083 व 2085/1 कुल किता 7 रकबा 8.8800 हैक्टर, की कृषि भूमि के नामान्तरकरण संख्या 1962 दिनांक 20.11.2009 के पृष्ठांकित नजरी नक्शा, वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी तथा आपसी सहमति–पत्र नोटेरी से तस्दीकसुदा दिनॉक 12.03.2018 द्वारा पूर्व में समस्त पक्षकारानों द्वारा आपसी बंटवाड़ा माफिक भरे गये ना0सं0 1962 दिनांक 20.11.2009 के पृष्ठांकित नजरी नक्शा माफिक तरमीम किये जाने हेतु प्रा0 पत्र में दर्शित तथ्यो को संपुष्ट किया है। लिहाजा पूर्व में की गई राजस्व नक्शे में गलत रूप से की गई राजस्व नक्शे में लाल स्याही से दर्शित ख0नं0 2085/1, 2085 की तरमीम निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा पूर्वोक्त की गई उक्त तरमीम को निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही पुनः ख0नं0 2085, 2085/1 नामान्तरकरण संख्या 1962 के पृष्ठांकित नजरी नक्शा अनुसार सही व दुरूस्त तरमीम किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। तदानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड के दुरूस्त राजस्व नक्शे लट्ठा ट्रेस में तरमीम का इन्द्राज किया जावें। तहसीलदार सोजत को इस निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
जिला–पाली
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
जिला–पाली
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.